UPGZ010068562026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश ,कोर्ट सं०–7,गाजियाबाद।

उपस्थित: मनीष निगम, उच्चतर न्यायिक सेवा,

J.O. Code No–01636

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1064/2026,
कम्प्यूटर रजि०संख्या–3123/2026,

विशाल पुत्र पवन कुमार, निवासी सलेमपुर पहाडगढी, जिला बुलन्दशहर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य .....अभियोजन पक्ष।

अपराध संख्या–246/2026,
धारा–115(2),352,308(5),317(1) बी०एन०एस०,
थाना विजयनगर, गाजियाबाद।

दिनांक 04–06–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल** की ओर से यह द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण मे स्वंय को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11–05–2026 से जिला कारागार मे निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में पैरोकार उषा द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राकेश रावत द्वारा थाना विजयनगर पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि मैं राकेश रावत पुत्र प्रेम सिंह रावत ,निवासी ई–341 सै०–11, प्रताप विहार, गाजियाबाद का निवासी हूँ। दिनांक 08.05.2026 की रात्री को मेरे पास अंजलि नामक की कॉल आई। जिसके बाद C S H P स्कूल के सामने पुल के नीचे अंजलि से मिलने गया। तभी वहां पर कई आदमी अनिल, प्रदीप, विशाल ने अंजलि के अपना भाई व चाचा बता रहे थे। जिसके बाद मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे जान से मारने की धमकी देकर बोले या तो हम लोगो को 4 लाख रूपये दो नही तो तुम्हे जान से मार देगे। मैने मौत के भय से उक्त लोगो को 49 हजार रूपये फोन पे किये तथा 30 हजार रूपये नगद दिये। उक्त लोग कहने लगे कि शेष रूपये जल्दी नही दिये तो तुम्हे जान से मार देगे तथा धमकी देकर गाली गलोच करते हुए चले गये। मेरी रिपार्ट रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। उक्त के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव कुमार एडवोकेट एवं अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री रवि शर्मा एडवोकेट को सुना एवं समस्त अभिलेखो का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमे से सम्बन्धित कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य निष्पक्ष गवाह किसी भी प्रकार का नही है। अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा से कोई किसी प्रकार की पैसे आदि की मांग नही की न ही कोई किसी प्रकार की मारपीट या गाली गलौच की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसके विरूद्ध कोई अपराध किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया साबित नही होता है। सह अभियुक्त प्रदीप की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 30–05–2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नही है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.05.2026 से जिला कारागार गाजियाबाद में निरूद्ध है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के साथ मारपीट व गाली–गलौच की गयी तथा जान से मारने की धमकी देकर 4 लाख रूपये की मांग की गयी। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा के पास सह–अभियुक्ता अंजली का फोन कॉल आया और वादी C S H P स्कूल के सामने पुल के नीचे अंजली से मिलने गया। तभी वहां पर कई आदमी अनिल, प्रदीप, विशाल ने अंजलि के अपना भाई व चाचा बता रहे थे। जिसके बाद वादी के साथ मारपीट करते हुए वादी को जान से मारने की धमकी देकर बोले या तो हम लोगो को 4 लाख रूपये दो नही तो जान से मार देंगे। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास सम्बन्धित थाना से पेश नही किया गया है। अभियुक्त प्रश्नगत प्रकरण मे दिनांक 11.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह–अभियुक्त प्रदीप की जमानत इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 30–05–2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **विशाल** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 04–06–2026

(मनीष निगम)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–7,
गाजियाबाद।

Digitally signed by MANISH NIGAM
Date: 2026.06.04 13:40:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court